न्यायालय–समाहर्त्ता, सहरसा।

वासगीत विविध वाद संख्या – 08/2013

आदित्यनाथ झा एवं अन्य वनाम लड्डुलाल मुखिया एवं अन्य

– :: आदेश :: –

प्रस्तुत वासगीत विविध वाद अपीलार्थी आदित्यनाथ झा एवं अन्य द्वारा अंचलाधिकारी, महिषी द्वारा वासगीत पर्चा वाद संख्या – 4/2010–11 में पारित आदेश के विरुद्ध लाया गया है। जिसमें अंचलाधिकारी द्वारा मौजा–खोबड़ा, महिषी अंचल, खाता संख्या – 30, खेसरा संख्या – 436 से 12 डिसमल जमीन का पर्चा प्रतिपक्षियों को निर्गत किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि श्री चन्द्रशेखर झा, जिन्हें भूधारी मानते हुए दिनांक 13.01.2011 को नोटिस निर्गत किया गया था, वे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अतः तामिला नहीं हो पाया था और अंचलाधिकारी ने गलत तरीके से कैम्प कोर्ट के माध्यम से पर्चा निर्गत कर दिया। पर्चा प्राप्त करने के बाद उसी जमीन पर प्रतिपक्षी द्वारा दिसम्बर, 2012 से विवाद उत्पन्न किया गया तथा पुलिस द्वारा उस पर धारा–144 (CrPC) के अन्तर्गत कार्रवाई का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को भेजा गया। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए विवादी भूमि पर जाने से रोक लगायी गयी।

अभिलेख अंचलाधिकारी से प्राप्त है । अभिलेख का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी द्वारा भूधारी चन्द्रशेखर झा वगैरह को सूचना तथा आम सूचना निर्गत किया गया है, जिसका तामिला प्राप्त है तथा राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्राप्त है, जिसमें आवेदकों के भूमिहीन होने एवं प्रस्तावित भूमि पर शांतिपूर्ण आवासीय दखल–कब्जा का प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतीत होता है वासगीत पर्चा निर्गत होने के बाद विवाद उत्पन्न किया गया है तथा अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में CrPC की धारा – 144 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारंभ हुई हैं। अनुमंडल पदाधिकारी को यह देखने की आवश्यकता है कि वासगीत भूमि पर किस प्रकार धारा–144 (CrPC) की कार्रवाई प्रारंभ हुई।

अतः प्रस्तुत अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है तथा अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि तदनुरूप विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

26.9.17

समाहर्त्ता,
सहरसा।

26.9.17

समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 1517-2 / विधि, सहरसा, दिनांक 26-09-2017

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए अंचलाधिकारी, महिषी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
25.09.017